

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

₹.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

NOTARIAL

NOTARIAL

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

पुस्त्य-26
नियम-4 टेक्सि।

DOAA 335668

उधनकर्ता :- श्री पूर्णचन्द्र जोशी उमे 36 वर्ष एवं श्री परमिनद जोशी
निवासी ग्राम मल्ला रोडेला, बौद्धांग शीतलावेल,
तहसील व जिला अल्मोड़ा।

नोट- इसी पुस्त्य के साथ ताँग है।



[Signature]

५० रामेश्वर

निवाचन क्षेत्र से

(निवाचन क्षेत्र का नाम)

विवाचन क्षेत्र (सदन का नाम) के लिए निवाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र

मैं भूर्णचण्ड जोशी

आयु ३६ वर्ष, जो ग्राम लक्ष्मा रोड़ेवा, पो. शीतलासरत का (की निवासी हूँ) और उपरोक्त निवाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ (लग भलेप) निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ -

1- मैं ऐसे किसी लबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दबंगीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सकम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। → (ही)

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) → (ही)

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं → (ही)

(ii) पुलिस थाना (थाने) → (ही) जिला (जिले) → (ही) राज्य → (ही)

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है → (ही)

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई → (ही)

(v) तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे → (ही)

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सकम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं → (ही)

मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। → (ही)

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

(i) मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं → (ही)

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है → (ही)

(iii) पुलिस थाना (थाने) नहीं जिला (जिले) नहीं राज्य नहीं

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अन्यर्थी कभी आरोपित किया गया है) नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे नहीं

(vi) क्या दंडादेश सकाम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं नहीं

स्थान: बानीखेत
तारीख: 12-01-2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन



मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अतिवर्तु भर सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्परिक बात छिपायी नहीं गई है।

बानीखेत स्थान पर आज तारीख 12-01-2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रलम्ब के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

Solemnly Affirmed before me by
the Deponent Sri. Fazil Choudhary (8)
Shri. Dharma Narayan Rayamajhi At my call & Rati-
fied this 12th day of January, 2012 at Almora
that the Contents of this Affidavit are
True with have been read & explained to
the Deponent who is identified by
Shri. O. B. Patel P.W.D. Officer on 12/1/12
at Ranikhet

Y. C. JOSE
Secretary Deputy Collector
12/1/12